मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा

10 दिसम्बर 1948 को यूनाइटेड नेशन्स की जनरल असेम्बली ने मानव अधिकारों की घोषणा को स्वीकृत और घोषित करो है। इसका पूर्ण पाठ आगे के राष्ट्रों में दौ गौ है इस ऐतिहासिक कार्य के बाद असेम्बली ने सबई सदस्यों से अपील करी है के वो इस घोषणा का प्रचार करैं और देशों अथवा प्रदेशों की राजनैतिक स्थिति पर आधारित भेदभाव पर विचार करै बगैर , विशेषतः स्कूलों और अन्य शिक्षा संस्थानों में इसके प्रचार , प्रदर्शन, पठन और व्याख्या को प्रबन्ध करे।

इसी घोषणा को सरकारी पाठ संयुक्त राष्ट्रों की इन पाँच भाषाओं में प्राप्य है– अंग्रेजी, चीनी, फ्रान्सीसी , रुसी, स्पैनिश। अनुवाद का जौ पाठ हुअन दौ गौ है वो भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हौ।

प्रस्तावना – चूँकि मानव परिवार के सबई सदस्यों को गौरव और सम्मान तथा अविछिन्न अधिकारों की स्वीकृति हो विश्वशांति ,न्याय और स्वतंत्रता की बुनियाद हैं।

चूँकि मानव अधिकारों के प्रति उपेक्षा और घृणा के फलस्वरुप ही ऐसे बर्बर कार्य भये हैं जिनसे मनुष्य की आत्मा पर अत्याचार करो गौ है। चूँकि एक ऐसी विश्वव्यवस्था की उस स्थापना को (जिसमें लोगन को भाषण और धर्म की आजादी तथा भय और अभाव से मुक्ति मिलिऐ) सर्व साधारण के लिये सर्वोच्च आकांक्षा करी गई है।

चूँकि अगर अन्याय युक्त शासन और जुर्म के विरुद्ध लोगन को विद्रोह करन के लेन –उसे ही अंतिम उपाय समझ कर–मजबूर नहीं हो जानो है, तो कानून द्वारा नियम बनाकर मानव अधिकारों की रक्षा करनो अनिवार्य है।

चूँकि राष्ट्र के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ाना जरुरी है। चूँकि संयुक्त राष्ट्रों के सदस्य देशों की जनताओं ने बुनियादी मानव अधिकारों में मानव व्यक्तित्व के गौरव और योग्यता में और नर नारियो के समान अधिकारों में अपने विश्वास को अधिकार पत्र में दोहराओ है और ये निश्चय करो है कि अधिक व्यापक स्वतंत्रता के अन्तर्गत सामाजिक प्रगति एवम् जीवन के बेहतर स्तर को ऊँचो करो जाये।

चूँकि सदस्य देशों ने ये प्रतिज्ञा करी है कि संयुक्त राष्ट्रों के सहयोग से मानव अधिकारों और बुनियादी आजादियों के प्रति सार्वभौम सम्मान की वृद्धि करनी है।

चूँकि प्रतिज्ञा को पूरी तरह से निभान के लेन इन अधिकारो ंऔर आजादियों का स्वरुप ठीक ठाक समझना सबसे अधिक जरुरी है इसलिये अब सामान्य सभा ये घोषित करती है कि –

मानव अधिकारों की ये सार्वभौम घोषणा सभी देशों और सामान्य लोगों की समान सफलता है इसको ये उद्देश्य है कि प्रत्येक व्यक्ति ओर समाज का प्रत्येक भाग इस घोषणा को लगातार दृष्टि में रखत हुये अध्यापन और शिक्षा द्वारा ये प्रयत्न करेगा कि इन अधिकारो और आजादियों के प्रति सम्मान की भावना जाग्रत हो और उत्तरोतर ऐसे राष्ट्रीय तथा अन्तराष्ट्रीय उपाय किये जायें जिनसे सदस्य देशों की जनता इन अधिकारो की सार्वभौम और प्रभावोत्पादक स्वीकृति दें और उनका पालन करावें।

अनुच्छेद 1: सभी मनुष्यों को गौरव और अधिकारों के मामले में जन्मजात स्वतंत्रता और समानता प्राप्त हो। उन्हें बुद्धि और आत्मा की देन प्राप्त है ओर परस्पर उन्हें भाईचारे के भाव से बर्ताब करनो चइए।

अनुच्छेद 2 : सभी को इस घोषणा में सभी अधिकारों और आजादियों को प्राप्त करने का हक है और इस मामले में जाति ,वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति या अन्य विचार प्रणाली किसी देश या समाज विशेष में जन्म सम्पत्ति या किसऊ प्रकार की अन्य मर्यादा आदि के कारण भेदभाव का विचार ना करा जायेगा। इसके अतिरिक्त चाहे कोई देश या प्रदेश स्वतंत्र हो, संरक्षित हो या स्वशासन रहित हो या परिभूत प्रभुसत्ता वाला हो, उस देश या प्रदेश की राजनैतिक, क्षेत्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के आधार पर वहाँ के निवासियों के प्रति कोई फरख नाई रखो जइयें।

अनुच्छेद 3: प्रत्येक व्यक्ति को जीवन स्वाधीनता ,वैयक्तिक सुरक्षा को अधिकार है।

अनुच्छेद 4: कोई गुलामी या दासता की हालत में नाही रखो जइयें, गुलामी प्रथा या गुलामों का व्यापार अपने सभी रुपों में निषिद्ध हुइयें।

अनुच्छेद 5: किसऊ को भी शारीरिक यातना नाही दी जइयें, और न किसी के प्रति निर्दय ,अमानुषिक या अपमानजनक व्यवहार हुइयें।

अनुच्छेद 6: हर किसी को हर जगह कानून की निगाह में व्यक्ति के रुप में स्वीकृति प्राप्ति को अधिकार है।

अनुच्छेद 7: कानून की निगाह में सबही समान हैं और बिना भेदभाव के समान कानूनी सुरक्षा के अधिकारी है। यदि इस घोषणा का अतिक्रमण करके कोई भेदभाव करो जइऐं या उस प्रकार के भेदभाव को उकसाओ जइऐं तो उसके विरुद्ध समान संरक्षण को अधिकार सभी को प्राप्त हैं।

अनुच्छेद 8: सबई को संविधान या कानून द्वारा प्राप्त बुनियादी अधिकारों का अतिक्रमण करन वाले कार्यों के विरुद्ध समुचित राष्ट्रीय अदालतों की कारगर सहायता पान को हक हैं।

अनुच्छेद 9: किसी को मनमाने ढंग से गिरफ्तार या नजरबंद या देश निष्कासित नाही करो जइयें।

अनुच्छेद 10: सबई को पूर्णतः समान रुप से हक है कि उनके अधिकारों और कर्तव्यों के निश्चय करन को मामले में और उनपर आरोपित फौजदारी के किसी मामले में उनकी सुनवाई न्यायोचित ओर सार्वजनिक रुप से निरपेक्ष एवं निष्पक्ष अदालत द्वारा हो।

अनुच्छेद 11:

(क) प्रत्येक व्यक्ति जिस पर दण्डनीय अपराध को आरोप धरो होय ,तब तक निरपराध मानो जइयें जब तक उसे ऐसी खुली अदालत जहाँ उसे अपनी सफाई के लेन आवश्यक सुविधाएं प्राप्त हों , कानून के अनुंसार अपराधी ना सिद्ध कर दो जाये।

(ख) कोई भी व्यक्ति किसी भी ऐसे कृत या अकृत (अपराध) के कारण उस दण्डनीय अपराध को अपराधी नहीं मानो जइयें, जिसे तत्कालीन प्रचलित राष्ट्रीय या अंतराष्ट्रीय कानून के अनुसार दंडनीय अपराध करो गओ थो।

अनुच्छेद 12: किसी व्यक्ति की एकान्तता, परिवार, घर या पत्र व्यवहार के प्रति कोई मनमाना हस्तक्षेप नाही करो जइयें, ना किसी के सम्मान और ख्याति पर कोई आक्षेप हो सकिऐ। ऐसे हस्तक्षेप या आक्षेप के विरुद्ध प्रत्येक को कानूनी रक्षा को अधिकार प्राप्त है।

अनुच्छेद 13:

(क) प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक देश की सीमाओं के अन्दर स्वतंत्रता पूर्वक आन जान ओर बसन को अधिकार है।

(ख) प्रत्येक व्यक्ति को अपने पराये किसी भी देश को छोड़न और अपने देश में वापस आन को अधिकार है।

अनुच्छेद 14:

(क) प्रत्येक व्यक्ति को सताये जाने पर दूसरे देशों में शरण लेने और रहन को अधिकार है।

(ख) इस अधिकार को लाभ ऐसे मामलों में नहीं मिलेगा जों वास्तव में गैर राजनीतिक अपराधों में सम्बन्धित है या जो संयुक्त राष्ट्रों के उद्देश्यों और सिद्धान्तों के विरुद्ध कार्य है ।

अनुच्छेद 15:

(क) प्रत्येक व्यक्ति को किसऊ भी राष्ट्र विषेश को नागरिकता को अधिकार है ।

(ख) किसऊ को भी मनमाने ढंग से अपने राष्ट्र की नागरिकता से वंचित न करो जाये या नागरिकता का परिवर्तन करन से मना न करो जाये।

अनुच्छेद 16:

(क) बालिग स्त्री पुरूषों को बिना किसी जाति , राष्ट्रीयता या धर्म की रूकावटों के आपस में विवाह करने और परिवार को स्थापन करन को अधिकार है। उन्हें विवाह के विषय में वैवाहिक जीवन में तथा विवाह विच्छेद के बारे में समान अधिकार है।

(ख) विवाह को इरादा रखन वाले स्त्री पुरूषों की स्वतंत्रता की सहमति पर ही विवाह होई सकेगा।

(ग) परिवार समाज की स्वाभाविक और बुनियादी सामूहिक इकाई है और उसे समाज तथा राज्य द्वारा संरक्षण पान को अधिकार है।

अनुच्छेद 17:

(क) प्रत्येक व्यक्ति को अकेले और दूसरों के साथ मिलकर सम्मति रखन को अधिकार है।

(ख) किसऊ को मनमाने ढ़ग से अपनी सम्मति से वंचित नाहीं करो जइयें।

अनुच्छेद 18:

प्रत्येक व्यक्ति को विचार अंतर्आत्मा और धर्म की आजादी को अधिकार है। इस अधिकार के अंर्तगत अपनों धर्म या विश्वास बदलन और अकेले या दूसरों के साथ मिलकर तथा सार्वजनिक रूप में अथवा

निजी तौर पर अपने धर्म या विश्वास को शिक्षा , क्रिया, उपासना तथा व्यवहार के द्वारा प्रगट करन की स्वतंत्रता है।

अनुच्छेद 19:

प्रत्येक व्यक्ति को विचार और उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अधिकार है इसके अंर्तगत बिना हस्तक्षेप के कोई राय रखनो और किसऊ माध्यम के जरिये से तथा सीमाओं की परवाह न करकं भये किसी की सूचना और धारणा का अन्वेषण, ग्रहण तथा प्रदान सम्मिलत है।

अनुच्छेद 20:

(क) प्रत्येक व्यक्ति को शांतिपूर्ण सभा, करने या समिति बनान की स्वतंत्रता को अधिकार है।

(ख) किसऊ को भी स्वतंत्रता किसी भी संस्था का सदस्य बनन के लेन मजबूर नाहीं करो जाये सकत।

अनुच्छेद 21:

(क) प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश की सरकारी नौकरियॉ प्राप्त करन को समान अधिकार है।

(ख) प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश के शासन में प्रत्यक्ष रूप से या स्वतंत्र रूप से या स्वतंत्र रूप से चुने गये प्रतिनिधियों के जरिये हिस्सा लेन को अधिकार है।

(ग) सरकार की सत्ता को आधार जनता की इच्छा हुइये। इस इच्छा का प्रकटन समय समय पर और असली चुनावों द्वारा हुइयें। ये चुनाव सार्वभौम और समान मताधिकार द्वारा हुइयें और गुप्त मतदान द्वारा या किसी अन्य समान स्वतंत्र मतदान पद्धति से करायें जइयें।

अनुच्छेद 22:

समाज के एक सदस्य के रूप में प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा को अधिकार है। और प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के उस स्वतंत्र विकास तथा गौरव के लेन– जो राष्ट्रीय प्रयत्न या अंतरराष्ट्रीय सहयोग तथा प्रत्येक राज्य के संगठन एवं साधन के अनुकूल होय – अनिवार्यता आवश्यक आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की प्राप्ति को हक है।

अनुच्छेद 23:

(क) प्रत्येक व्यक्ति को काम करन के लेन, इच्छानुसार रोजगार के चुनाव, काम की उचित और सुविधाजनक परिस्थितियों को प्राप्त करन और बेकारी से संरक्षण पान को हक है।

(ख) प्रत्येक व्यक्ति को समान कार्य के लेन बिना किसी भेदभाव के समान मजदूरी पाने को हक है।

(ग) प्रत्येक व्यक्ति जो काम करत है उसे अधिकार है कि वह उतनी ही उचित और अनूकूल मजदूरी पइयें जिससे वो अपने और अपने परिवार के लेन ऐसी आजीविका को प्रबन्ध कर सके, जो मानवीय गौरव के योग्य हो तथा आवश्यकता होने पर उसकी आपूर्ति अन्य प्रकार के सामाजिक संरक्षणों द्वारा होई सके।

(घ) प्रत्येक व्यक्ति को अपने हितों की रक्षा के लेन श्रमजीवी संघ बनाने और उनमें भाग लेन का अधिकार है।

अनुच्छेद 24:

प्रत्येक व्यक्ति को विश्राम और अवकाश को अधिकार है। इसके अंर्तगत काम के घंटों की उचित हदबंदी और समय समय पर मजदूरी सहित छुट्टियाँ सम्मिलित है।

अनुच्छेद 25:

(क) प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे जीवन स्तर को प्राप्त करन को अधिकार हैं जो उसे और उसके परिवार के स्वास्थ्य एवं कल्याण के लेन पर्याप्त हो। इसके अन्तर्गत खाना ,कपडा, मकान, चिकित्सा संबंधी सुविधायें और आवश्यक सामाजिक सेवायें सम्मिलित हैं। सभी को बेकारी, बीमारी, असमर्थता, वैधव्य या बुढ़ापे या अन्य किसी ऐसी परिस्थिति में आजीविका का साधन न होने पर जो उसके काबू से बाहर हों , सुरक्षा को अधिकार प्राप्त हैं।

(ख) जच्चा–बच्चा को खास सुविधा और सहायता को हक है। प्रत्येक बच्चे चाहें वो विवाहित माता से जन्मा हो या अविवाहित माता से जन्मा हो समान सामाजिक संरक्षण प्राप्त हुइयें।

अनुच्छेद 26:

(क) प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा कम से कम प्रारम्भिक और बुंनियादी अवस्थाओं में निःशुल्क होगी। प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य हुइये , टेक्निकल ,यांत्रिक और पेशों सम्बन्धी शिक्षा सभी को योग्यता के आधार पर समान रुप से उपलब्ध होगी।

(ख) शिक्षा का उद्देश्य होगा मानव व्यक्तित्व को पूर्ण विकास और मानव अधिकारों तथा बुनियादी स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान की पुष्टि। शिक्षा द्वारा राष्ट्रों ,जातियों अथवा धार्मिक समूहों के बीच आपसी सद्भावना , सहिष्णुता और मैत्री को विकास हुइयें। और शान्ति बनाये रखन के लेन संयुक्त राष्ट्रों के प्रयत्नों को आगे बढ़ाओ जइयें।

(ग) माता पिता को सबसे पहले ई बात को अधिकार है कि वे चुनाव कर सकें कि किस किस्म की शिक्षा उनके बच्चन को दई जइयें।

अनुच्छेद 27:

(क) प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता पूर्वक समाज के सांस्कृतिक जीवन मे हिस्सा लेन, कलाओं को आनन्द लेन तथा वैज्ञानिक उन्नति और उसकी सुविधाओं में भाग लेन को हक हैं।

(ख) प्रत्येक व्यक्ति को किसऊ भी ऐसी वैज्ञानिक , साहित्यिक या कलात्मक कृति से उत्पन्न नैतिक और आर्थिक हितों की रक्षा को अधिकार हैं जिसका रचयिता वो स्वयं हो।

अनुच्छेद 28: प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की प्राप्ति को अधिकार है। जिसमें इस घोषणा में उल्लिखित अधिकारों और स्वतंत्रताओं को पूर्णतः प्राप्त करो जाय सकें।

अनुच्छेद 29:

(क) प्रत्येक व्यक्ति को उसी समाज के प्रति कर्तव्य हों जिसमें रहकर उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास संभव हो।

(ख) अपने अधिकारों का और स्वतंत्रताओं का उपयोग करत भये , प्रत्येक व्यक्ति केवल ऐसी ही सीमाओं द्वारा बद्ध हुइये , जो कानून द्वारा निश्चित करी जइये और जिनको एकमात्र उद्देश्य दूसरों को अधिकार एवं स्वतंत्रता के लेन आदर और समुचित स्वीकृति की प्राप्ति हुइयें तथा जिनकी आवश्यकता एक प्रजातांत्रिकात्मक समाज में नैतिकता, सार्वजनिक व्यव्यथा और सामान्य कल्याण की उचित आवश्यकताओं को पूरो करनो हुइये।

(ग) इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं का उपयोग किसऊ प्रकार से संयुक्त राष्ट्रों के सिद्धान्तों और उद्देश्यों के विरुद्ध नाहीं करो जइयें।

अनुच्छेद 30: इस घोषणा में उल्लिखित किसी की बात को जो अर्थ नाहीं लगानो चाहिये जिससे जे प्रतीत होय कि किसी भी राज्य , समूह या व्यक्ति को किसऊ प्रयत्न में संलग्न होने या ऐसो कार्य करन को अधिकार हों जिसको उद्देश्य यहाँ बताये भये अधिकारों और स्वतंत्रताओं में किसी का भी विनाश करनो होय।

****